कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट
सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 493 /रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट,अगस्त, 10, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः– 1–अनु सचिव , उ0प्र0 शासन , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या– 860(1)/81–2–2021–79/1991 दिनांक– 28.07.2021
2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 328/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 29.07.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । उक्त पत्रो द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली का पत्र संख्या– 8–350/1987–एफ0सी0(Vol) दिनांक– 01.09.2020 व उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 860/81–2–2021–79/1991 दिनांक– 26.07.2021 के अनुसार समेकित आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्दशित किया गया है ।

उक्त निर्देशो के अनुपालन में समेकित आख्या टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली का पत्र संख्या– 8–350/1987–एफ0सी0(Vol) दिनांक– 01.09.2020 में अंकित विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
i	The clear recommendation of CCF has not been provided in Part-III; as well as on the basis of improper recommendation of CCF the proposal has been recommended by Nodal Officer. Therefore, recommendation of the C.C.F. & Nodal Officer needs a review. They are required to submit clear recommendations and the recommendations shall be on	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण हेतु प्रभाग द्वारा संस्तुति सहित रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है ।

Scanned with CamScanner

	agreeing renewal proposal or not in specific "Yes" or "No". Reasons for agreement/disagreement shall also be cited with the proposal;	
ii	DFO, Renukoot vide their letter no. 2869/रेनुकूट/15-38 dated 13.02.2019 had reported violation of section 2 of FCA, 1980 in this matter. The details about specific issues pertaining to contravention of section 2 of FCA,date of violation, extent of violation, officials responsible for violation, any other information relevant to this proposal shall be submitted;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0सी0एल ककरी परियोजना को लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि से <u>विल्कुल अलग धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि</u> भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा सोनभद्र को वनेत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गई है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंधन है । :–

क्र0 सं0	लीज धारक का नाम	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	निहित वन भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	मे0हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 (रेनुसागर पावर डिविजन रेनुसागर–सोनभद्र)	21.02. 2009	एश पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यो के लिए रास्ते के निर्माण हेतु	7.43 एकड़	5.5203 एकड़
2	–"–	10.06. 2011	कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना	30.86 एकड़	6.1405 एकड़
3	मे0 लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा–सोनभद्र	30.11. 2010	वार्फ वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना	8.8 एकड़	6.6 एकड़
योग–				47.09 एकड़	18. 2608 एकड़

नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना द्वारा मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुसागर पावर डिविजन एवं लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा–सोनभद्र को उक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना धारा–4 में विज्ञपित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि वनेत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दिये जाने से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंधन वावत नोटिस दिनांक– 22.02. 2013 के माध्यम से चेयरमैन कम मैनेजिग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली को प्रेषित किया गया तथा उनसे इस आशय का आग्रह किया गया कि उक्त उल्लंधन के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्धउ कार्यवाही करते हुए उनके नाम व पद तथा उनके उत्तरदायित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाये, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली के स्तर से कोई सूचना प्रापत न होने पर प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र दिनांक– 02.03.2013 के माध्यम से अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया परन्तु एन0सी0एल0 द्वारा कोई सूचना उपलब्ध

Scanned with CamScanner

नही कराई गयी । चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली के स्तर से उत्तरदायी कर्मचारियो के नाम का साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में प्रश्नगत उल्लंधन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक जिम्मेदारी हेतु उत्तरदायी अधिकारियो का नाम उसका औचित्य निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम सर्व श्री	पद	जिम्मेदारी का स्तर	औचित्य
1	2	3	4	5
1	अमितव राव	मुख्य महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास	द्वितीयक	मे0 अनपरा पावर लि0 अनपरा के साथ निष्पादित लीज डीड दिनांक–03.11.2010में एन0सी0एल0 की ओर से हस्ताक्षरित किये गये ।
2	संजय मिश्रा	महाप्रबन्धक राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0 सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक–10.06.2011 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
3	जी0पी0पूर्वे	महाप्रबन्धक राजस्व एवं पुनर्वास, एस0सी0एल0 सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक–21.02.2009 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
4	एस0के0झा	महाप्रबन्धक एन0सी0एल0 ककरी, जिला–सोनभद्र	प्राथमिक	ककरी परियोजना के अन्तर्गत कार्यालय अध्यक्ष एवं मुखिया के रूप ।
5	यू0एस0सिंह	पर्यावरण अधिकारी ककरी परियोजना	प्राथमिक	प्रोजेक्ट की भूमि के कस्टोडियन के रूप में प्रभाग स्तर पर आयोजित प्रभाग से संबंधित समस्त बैठको में भाग लिया गया ।
6	एस0के0सिंह	स्टाफ अधिकारी	प्राथमिक	महाप्रबन्धक ककरी

Scanned with CamScanner

		कार्मिक/सुरक्षा इंचार्ज ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र | परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक– 27.02.2012 द्वारा सूचित होने के कारणं ।
		उपरोक्त विवरण के आधार पर नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना में परियोजना के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापित कुल 18.2608 हे0 वन भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना वनेत्तर प्रयोग हेतु निजी कम्पनियों को लीज पर दिये जाने संबंधित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंधन किया गया है । उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अनुसार नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का औचित्य है ।
iii	The State Government has not submitted the complete compliance of the Ministry's earlier approval vide order no. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989;	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या सत्यापित करते हुए प्रभाग के पत्र संख्या–2318/रेनुकूट/15–38 दिनांक– 12.01.2021 द्वारा प्रषित की जा चुकी है ।
iv	Site Inspection Report of the concerned CCF has not been submitted with the proposal which is mandatory as proposed renewal of lease is having extent >40 ha;	इस बिन्दु के अनुपालन में कार्यवाही प्रभाग स्तर से अपेक्षित नही है ।
V	The NOC from other land owning agencies other than State Forest Department (if any) has not been submitted with the proposal;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में 185.84 हे0 वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि सम्मिलित नही है इस कारण अन्य एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित नही है ।
Vi	The State Government has not clarified wheather the Environmental Clearance issued vide order dt. 11.05.2005 is valid for the instant proposal or not;	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा MOEF&CC पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– IA/UP/CMIN/114168/2019 प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है ।
Vii	The State Government has not submitted the valid lease documents for the instant proposal;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में पट्टाविलेख उपलब्ध कराया गया था जो कतिपय कारणो से अनुमोदित नही हो पाया । उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 454/81–2–2020 ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 28 मई 2020 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के समस्त प्रकरणो मे Transfer of property Act 1882 के तहत संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त निर्देश के क्रम में प्रभाग द्वारा विभिन्न पत्रो के माध्यम से एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया उक्त अनुरोध के क्रम में महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना ने अपने पत्र संख्या–ककरी/महाप्रबन्धक/वन/2020/464 दिनांक– 12.08.2020 द्वारा

Scanned with CamScanner

		माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के रिट याचिका संख्या– 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 के आधार पर पट्टाविलेख के निष्पादन संबंधी कार्यवाही को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया । माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा रिट याचिका संख्या– 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :– " जनपद–मीरजापुर, वर्तमान में सोनभद्र जिले में दुद्धीचुआँ एवं खड़िया कोयला परियोजनाओ हेतु 1305 हे0 वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–298/87–एफ0सी0 दिनांक–30.07.1990 एवं इसके क्रम में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– एल 1319/14–3–929/87 वन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक– 04.01. 1991 द्वारा 40 वर्षो हेतु लीज पर दी गयी है । उक्त आदेश के अनुपालन में पट्टाविलेख की प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी । पट्टाविलेख के निष्पादन के संबंध में उच्च स्तर से कुछ अभिलेखो की मॉग की गयी जिसे उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के विभिन्न पत्रो द्वारा नार्दन कोल फील्डस लि0 की दुद्धीचुआँ एवं खड़िया परियोजना से अनुरोध किया गया किन्तु एन0सी0एल0 के स्तर से अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या– 4021/रेनुकूट/15–39 दिनांक– 08.04.2010 द्वारा डम्पिंग कार्य पर रोक लगा दी गयी । प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के उक्त पत्र दिनांक–08.04.2010 से क्षुब्ध होकर एन0सी0एल0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के समक्ष रिट याचिका संख्या– 33050/2010 दाखिल किया गया । उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा दिनांक– 14.07.2010 को स्थगन आदेश जारी किया गया है "। उक्त आदेश केवल एन0सी0एल0 की दुद्धीचुआँ एवं खड़िया परियोजना हेतु ही लागू है इसका उल्लेख करते हुए प्रभाग द्वारा एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा पारित उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 ककरी परियोजना पर भी लागू होने का उल्लेख करते हुए संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध नही कराया जा रहा है जो उ0प्र0 शासन द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में जारी मूल आदेश दिनांक–28.12.1989 व वर्तमान में जारी संदर्भित आदेश दिनांक– 28 मई 2020 का उल्लंधन है ।
Viii	The state Government has not submitted details i.e. kml file with respect to the CA land where plantation has been carried out as per approval order no. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 185.84 हे0 वन भूमि के बदले 189.84 हे0 गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग हरदोई उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करायी गयी है । उपलब्ध करायी गयी 189. 84 हे0 गैर वन भूमि को उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या– 3185/14–2–91/97/1991 दिनांक– 06.12.1991 द्वारा संरक्षित वन धोषित की जा चुकी है जिसकी पुष्टि हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग हरदोई का पत्र संख्या– 3975 दिनांक– 08.04.1994 की प्रति वन भूमि हस्तान्तरण से संबंधित नवीनीकरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 22 पर संलग्न है । उक्त गैर वन भूमि से संबंधित

Scanned with CamScanner

		जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट एवं के0एम0एल0फाइल की सी0डी0 प्रभाग के पत्र संख्या– 2318/रेनुकूट/15–38 दिनांक– 12.01.2021 द्वारा प्रषित की जा चुकी है ।
lx	As per the DSS analysis report, the following shortfalls has been observed:	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 185.84 हे0 वन भूमि से संबंधित संशोधित जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 प्रभाग के पत्र संख्या– 2318/रेनुकूट/15–38 दिनांक– 12.01.2021 द्वारा प्रषित की जा चुकी है ।
a.	The calculated area of proposed diversion as per kml file submitted is found to be 183.91 ha whereas applied area for diversion in the renewal proposal is 185.84 ha;	
b.	As per Sol Map, some portion of Forest land applied for renewal is falling in the state of Madhya Pradesh;	
c.	A shift of Forest KML boundary applied for renewal has been observed w.r.t. location forest patch i.e. 185.84 Ha as shown in Sol Map;	
d.	Sol Map shows some Forest patches are not covered in the Forest land i.e. 185.84 ha applied for renewal.	

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner